तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्या- 835/60-1-10-1/13(71)/06

प्रेषक

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1 लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2011

विषय- समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या- सी- 1711/नि0म0क0/प्रो0बे0/2010-11 दिनांक 28 नवम्बर, 2010, पत्र संख्या- सी- 1835/निदे0म0क0/प्रो0बे0/2010-11 दिनांक 17 जनवरी, 2011 तथा शासन के पत्र संख्या- 235/60-10-1/13(71)/06 दिनांक 01 फरवरी, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सन्दर्भित याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के 06 मेट्रोपालिटन शहरों (लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी व मेरठ) में 25 बच्चों की क्षमता के दो-दो खुले आश्रय गृह तथा जनपद अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद जनपदों में भी एक-एक खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के सफल क्रियान्वयन के लिए "समेकित बाल संरक्षण योजना" (ICPS) जो दिनांक 24-11-2010 को शासनादेश संख्या- 4931/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 द्वारा लागू की जा चुकी है। आई0सी0पी0एस0 योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण संस्था का गठन अध्यक्ष संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा

3- शहरी, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जहाँ पर देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे विशेषतया सड़कों/आवारा, कामकाजी बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, ड्रग एडिक्ट्स, घूम-घूम कर तमाशा दिखाने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे, वेश्यावृत्ति में लगाए गए तथा भागे हुए बच्चे तथा ऐसे बच्चों की संख्या अधिक होगी, का आंकलन कर आवश्यकता के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 25 बच्चों की क्षमता वाले खुले आश्रय गृह खोले जायेंगे।

4- निदेशालय के पत्र संख्या- सी- 1835/निदे0म0क0/प्रो0बे0/2010-11 दिनांक 17 जनवरी 2011 में यह निर्देश दिये गये थे कि जनपद स्तर पर जनपदीय विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त

प्रस्तावों/संस्थाओं का निरीक्षण बाल कल्याण समिति से कराकर आख्या प्राप्त कर, [illegible] तथा जिलाधिकारी के स्तर से संस्था का अन्तिम चयन किया जाए। चूंकि जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों/संस्थाओं के चयन में हो रहे विलम्ब एवं प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित होने के कारण संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सक्षम संस्थाओं का चयन आवश्यकता के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या– 235/60–10–1/13(71)/06 दिनांक 01–02–11 में उल्लिखित जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा चयन करते हुए अन्तिम रूप से चयनित संस्था के प्रस्ताव पर बाल कल्याण समिति की संस्तुति के लिए 15 दिन का समय दिया जाए, यदि समिति संस्तुति देने में असमर्थता व्यक्त करती है अथवा अनावश्यक रूप से विलम्बित करती है तो आप अन्तिम रूप से चयनित संस्था का प्रस्ताव पंजीकरण/मान्यता हेतु निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करें। अन्य जनपदों में खुले आश्रय गृह का चयन जनपद में उसकी आवश्यकता का आंकलन करने के उपरान्त ही किया जाए। यथा सम्भव जनपदों में खुले आश्रय गृह रेलवे स्टेशन के समीप भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों, पर्यटन, गंतव्यों, बस स्टेशन इत्यादि के समीप स्थापित किए जायेंगे।

5– अतः निदेशालय पत्र संख्या– सी– 1711/नि0म0क0/प्रा0 /2010–11 दिनांक 28 नवम्बर, 2010 तथा शासन के पत्र संख्या– 235/60–10–1/13(71)/06, दिनांक 01 फरवरी, 2011 द्वारा चयनित जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में खुले आश्रय गृह हेतु संस्थाओं का चयन उपरोक्तानुसार करते हुए प्रस्ताव दिनांक 20–03–2011 तक प्रत्येक दशा में निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा शेष अन्य जनपदों में आवश्यकता के आधार पर 25 बच्चों की क्षमता वाले खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त कर उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार चयनित करते हुए प्रेषित किए जायेंगे।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–039(1)/60–1–10–1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
3. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

([illegible])
विशेष सचिव